

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 456/593/2020/38.2

भोपाल दिनांक 29/03/2020

प्रति.


1. कुलसचिव,
समस्त पारम्परिक / निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अशासकीय /
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय - कोविड - 19 की रोकथाम हेतु जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में शुल्क/फीस जमा करने की तिथि में वृद्धि बाबत।

संदर्भ - मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के निर्देश दिनांक 29/03/2020

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 के लिये किसी भी प्रकार की शुल्क/फीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 की जाती है।

समस्त निजी विश्वविद्यालय एवं अशासकीय महाविद्यालय भी उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।


(अजीत कुमार)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 29/03/2020

क्रमांक 456/593/2020/38.2

प्रतिलिपि -

1. सचिव मान. राज्यपाल महोदय, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 3. उपसचिव मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
 4. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
 6. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल।
 7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 8. विक.अ. आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग



म. प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
MADHYA PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

368/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2020

भोपाल दिनांक 30/03/2020

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
म.प्र.।

विषय:-कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में शुल्क/फीस जमा करने की तिथि में वृद्धि बावत।

संदर्भ:-म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र.456/593/2020/38.2 दि. 29/03/2020

उपर्युक्त विषयांतर्गत म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी संदर्भित पत्र (संलग्न) के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30.04.2020 की जाए। कृपया शासन के आदेश का पालन सुनिश्चित करें एवं इस आशय की अधिसूचना प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(चेयरमेन द्वारा अनुमोदित)


सचिव

पृ. क्र.369/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2020

भोपाल दिनांक 30/03/2020

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक के माध्यम से प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलपतिगण, समस्त निजी विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।


सचिव